न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

केस संख्या : 16/310

1. गोपाल आत्मज रामनारायण आयु 51 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. किशनपाल आत्मज रामनारायण आयु 49 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मोहन लाल आत्मज रामनारायण आयु 46 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भूरी बाई पत्नी गोपाल आयु 47 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मनभर पत्नी किशनपाल आयु 43 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम. डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. सीता बाई पत्नी मोहन लाल आयु 41 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. हेमराज आत्मज किशनपाल आयु 28 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. महावीर आत्मज गोपाल आयु 41 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. फौरूलाल आत्मज गोपाल आयु 28 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

बद्री लाल आत्मज श्रीलाल आयु 69 वर्ष जाति बारेठा (ढोली) निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 06.10.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट बद्रीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत ग्राम डोडी तहसील नैनवा

खसरा नम्बर 30/876 रकबा 06 बीघा के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है उक्त भूमि को प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता स्व0 श्री नारायण आत्मज भूरा जाति मीणा को 1000/– रूपये में रहन रख दिया था जिस पर स्व0 नारायण की इजाजत से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों को देखे बिना ही लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान की सहमति हो और पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट सहमत नहीं थे और उनकी सहमति के बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पत्रावली में इकरारनामा बाबत् बेचान कृषि भूमि पत्रावली में संलग्न था फिर भी प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना सूचना व सुनवाई के उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी प्रमाणित मानी है । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 बहाल रखा जावे ।

का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी की धारा 188 एंव 92 (क) के अन्तर्गत वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों या फिर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया परन्तु प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय एवं डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा